<u>निविदा आमंत्रण सूचना</u>

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नवीन जिला न्यायालय भवन जबलपुर में कैण्टीन के संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कम्पनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के वेबसाइड www.mphc.gov.in एवं www.tenders.gov.in पर उपलब्ध हैं। इच्छुक संस्थायें/व्यक्तियों/कम्पनियां निविदा शर्तों के संबंध में सहमति दर्शाते हुये दिनांक 31.01.2022 की सांयकाल 5:30 बजे तक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। निविदा प्रलेख प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला जबलपुर द्वारा गठित नीलामी समिति द्वारा दिनांक 22.02.2022 के शाम 5:00 बजे निविदाकर्ताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेंगी।

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जबलपुर(म0प्र0)

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर म.प्र.

PHOTO
PASSPORT
SIZE SELF
ATTESTED

प्रति,

टेण्डर फार्म नं.....

श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
जबलपुर म.प्र.

मेरे/हमारे ....द्वारा टेण्डर में संलग्न नियम एवं शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया गया हैं, तथा संबंधित नियम एवं शर्तों का पालन करने हेतु सहमत हूं/हैं। निविदा फार्म की कीमत 500/– रू. अदा करने के साथ ही उक्त निविदा फार्म अंतिम दिनांक 31.01.2022 को शाम 5:30 बजे तक जमा करने तथा दिनांक 22.02.2022 को सायंकाल 5:00 बजे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर द्वारा गठित नीलामी समिति जबलपुर के समक्ष आयोजित टेण्डर को खुलवाने के लिए सहमत हूं/हैं एवं हम उक्त शर्तों एवं नियम को पालन करने हेतु लिखित में सहमति देने हेतु तैयार हैं। शर्तें पूरी ना होने पर अमानत राशि के तौर पर जमा की गई राशि को जब्त होने पर मैं/हम स्वयं उत्तरदायी होंगे। मैं/हम अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत तथा संलग्न अनुबंध के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत है।

मैं/हम नवीन जिला न्यायालय भवन जबलपुर में केन्टीन संचालन हेतु अनुबंध शर्तों के अनुसार निर्धारित दरों पर कार्य करने के लिए सहमत है।

मैं/हम द्वारा यह घोषणा की जाती है, कि हमारे द्वारा वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं www.tenders.gov.in में उपलब्ध टेण्डर संबंधी समस्त दस्तावेजों में किसी भी प्रकार का कोई जोड़, घटाना या बदलाव नहीं किया गया है। किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेजों की मूल प्रति (हार्ड कॉपी) को ही अंतिम दस्तावेज माना जावेगा एवं यदि हमारे द्वारा दिये गये दस्तावेजों एवं मूल कॉपी में कोई बदलाव पाया जाता है, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/प्रशासनिक/नीलाम समिति हमारे इकरारनामा को निरस्त करने हेतु पूर्ण स्वतंत्र है।

मेरे/हमारे द्वारा टेण्डर के साथ बयाना राशि....................................को एफ.डी.आर./डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक चैक/बैंक गारण्टी.................................दिनांक...................को बंद लिफाफा में जमा किया जावेगा।

टेण्डर राशि...........................को हमारे द्वारा डी.डी./चैक नंबर............. दिनांक........................को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए प्रेषित किया जावेगा।

दिनांक.................

हस्ताक्षर

नाम..........................

पता..........................

मो.नं.

गवाह हस्ताक्षर

1.

2.

/

<u>समक्ष :–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर (म0प्र0)</u>

:: <u>अनुबंध–पत्र</u> ::

जिला न्यायालय परिसर, जबलपुर में कैन्टीन के संचालन हेतु

नवीन जिला न्यायालय परिसर, जबलपुर के अभिभाषक संघ बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर केण्टीन का संचालन किया जाना है, जिसका एरिया 120 वर्गमीटर है, के एक वर्ष की कालावधि के लिये संचालन करने संबंधी शर्तें निम्नानुसार हैं :–

01. केन्टीन के संचालन के ठेके के लिये न्यूनतम निविदा राशि कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ.स.) संभाग–1, जबलपुर से (सरकारी बोली) वार्षिक किराया 2,85,816/–रूपये निर्धारित किया गया है। किराया प्रतिमाह पूर्णांक में प्राप्त किया जावेगा एवं निविदा प्रारंभ दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि के लिये रहेगी।

02. स्वीकृत निविदा में एक माह की राशि सुरक्षा निधि के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के नाम से निविदा अवधि या किन्हीं कारणवश बढाई गई अवधि तक बैंक गारंटी के रूप में जमा रहेगी।

03. अनुबंध पर प्राप्त की गई केन्टीन के व्यक्ति द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार नियत प्रत्येक माह की सात तारीख के अंदर किराया राशि कोषालय में जमा नहीं की जाती है तो उस पर 12 प्रतिशत ब्याज की दर से राशि अदा करनी होगी। एक माह तक मय ब्याज के राशि जमा न करने पर उसका लाईसेंस निरस्त करने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर को रहेगा।

04. केन्टीन का मासिक किराया उसके एरिया के अनुसार कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ.स.) संभाग–1, जबलपुर द्वारा निर्धारित दर से देय होगा।

05. केन्टीन के किसी भी भाग को रहने अथवा अन्य किसी उद्देश्य या कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जावेगा।

06. केन्टीन में बिक्री किए गए सामान का मूल्य दुकान के सहजदृश्य भाग में लगाया जायेगा एवं निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त नहीं किया जायेगा।

07. जिला न्यायालय के अवकाश दिवस के दिनों को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए या अन्य ऐसे समय तक जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जावेगा, संस्थान खुला रहेगा। परन्तु बिक्री का कार्य प्रातः 9:30 बजे से सायंकाल 6:00 बजे तक ही होगा।

08. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी शर्त को भंग करने पर व पालन न करने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर किसी भी समय अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेंगे। इस प्रकार रद्द की गई अनुज्ञप्ति के फलस्वरूप अनुज्ञप्तिधारी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

09. अनुज्ञप्ति अथवा अनुबंध से संबंधित किसी भी विषय पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर द्वारा या उनके द्वारा नामांकित किसी अन्य न्यायाधीश को विवाद के निपटाने का कार्य सौंपा जावेगा और ऐसा आदेश अंतिम रहेगा, जो उभयपक्षों पर बंधनकारी होगा।

10. अनुज्ञप्तिधारी विद्युत कनेक्शन स्वयं लेंगे तथा विद्युत शुल्क स्वयं वहन करेंगे। साथ ही अन्य सभी करों का भुगतान भी स्वयं करेंगे तथा केन्टीन परिसर की साफ–सफाई की व्यवस्था स्वयं करेंगे।

11. अनुज्ञप्तिधारी केन्टीन तथा आसपास के स्थान को साफ सुथरा रखेंगे। केन्टीन वाले स्थान में कोई ऐसा उपकरण नहीं लगाया जायेगा, जिससे उस स्थान के फर्स, दीवाल अथवा छत को किसी भी प्रकार से क्षति अथवा नुकसान हो। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं के व्यय पर केन्टीन चलाने हेतु सभी आवश्यक उपकरणों को रखना होगा।

12. अनुज्ञप्तिधारी विक्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री खाद्य सुरक्षा एवं मानक के अनुरूप होगी। खाद्य सामग्री में मिलावट पाए जाने पर इस हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा। साथ ही विधि के अनुसार समस्त आवश्यक अनुज्ञा स्वयं प्राप्त कर समस्त प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान करेगा।

13. खाद्य सामग्री, दर एवं साफ–सफाई आदि की जांच प्रधान जिला न्यायाधीश, जबलपुर द्वारा गठित कमेटी किसी भी समय कर सकेगी।

14. **निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ 25000 रूपये की अमानत राशि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त अमानत राशि नियमानुसार लौटा दी जावेगी, किंतु सफल निविदाकर्ता की उक्त राशि निविदाकर्ता और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के संयुक्त नाम की बैंक की एफ.डी.आर. के रूप में अमानत राशि के रूप में रखी जावेगी, जो निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का किसी भी रूप से उल्लंघन किए जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर द्वारा समपहृत की जा सकेगी।**

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जबलपुर म.प्र.